भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 20
उत्तर देने की तारीख 25 नवंबर, 2024
सोमवार, 4 अग्रहायण 1946 (शक)

पीएमकेवीवाई-2.0, 3.0 और 4.0 के उद्देश्य

20. श्री भास्कर मुरलीधर भगरे: श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे: श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्रीमती सुप्रिया सुले: प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्री संजय दीना पाटिल: डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएमकेवीवाई-2.0 के प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं और पीएमकेवीवाई 3.0 और पीएमकेवीवाई 4.0 के उद्देश्यों की तुलना में उनकी स्थिति क्या है;

(ख) महाराष्ट्र में पीएमकेवीवाई-2.0, 3.0 और 4.0 के प्रत्येक चरण के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है और रोजगार प्राप्त करने वाले इन प्रशिक्षुओं के प्रतिशत का ब्योरा क्या है;

(ग) विभिन्न सेक्टरों और क्षेत्रों में कौशल विकास के संदर्भ में पीएमकेवीवाई-2.0, पीएमकेवीवाई-3.0 और पीएमकेवीवाई-4.0 की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं;

(घ) क्या पीएमकेवीवाई के अंतर्गत महाराष्ट्र में कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र कार्यशील हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु नामांकित युवाओं का ब्योरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने रोजगार प्राप्त युवाओं द्वारा बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की स्थिति जानने के लिए आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और सरकार द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले युवाओं की संख्या को कम करने और उन्हें पुनः रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(छ) पीएमकेवीवाई-2.0, 3.0, और 4.0 से महिलाओं, अजा/अजजा और विकलांग व्यक्तियों सहित सीमांत और वंचित समुदायों को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए क्या अन्य पहलें की गई हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2.0 ने गतिशीलता और संरचित कौशल प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। पीएमकेवीवाई 3.0 ने कार्यक्रम को उम्मीदवार-संचालित और शैक्षणिक संस्थानों के साथ एकीकृत करने के लिए प्रणालीगत सुधार पेश किए। योजना के आरंभिक चरणों के कार्यान्वयन से मिली सीखों के आधार पर, पीएमकेवीवाई 4.0 को गतिशील बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए लचीलेपन, उभरती प्रौद्योगिकियों और आजीवन सीखने को प्राथमिकता देने के लिए फिर से डिजाइन किया गया है।

पीएमकेवीवाई 2.0, 3.0 और 4.0 के उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:

पीएमकेवीवाई 2.0 के उद्देश्य	पीएमकेवीवाई 3.0 के उद्देश्य	पीएमकेवीवाई 4.0 के उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य देश भर में युवाओं के लिए कौशल विकास को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है, ताकि इसे सामान्य मानदंड दिशानिर्देशों के साथ जोड़ा जा सके। इस योजना को सरकार के अन्य सभी मिशनों, जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत और स्मार्ट सिटीज के पूरक के रूप में भी जोड़ा जाना चाहिए। विशेष रूप से, इस योजना का उद्देश्य है: i. बड़ी संख्या में युवाओं को उद्योग द्वारा डिज़ाइन किए गए गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण लेने, रोज़गार योग्य बनने और अपनी आजीविका कमाने के लिए सक्षम और संगठित करना। ii. मौजूदा कार्यबल की उत्पादकता बढ़ाना और कौशल प्रशिक्षण को देश	योजना के उद्देश्य हैं: i. युवाओं के लिए एक इकोसिस्टम बनाना ताकि वे ii. उपलब्ध कौशल अवसरों पर सूचित विकल्प चुन सकें। iii. कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए युवाओं को सहायता प्रदान करना। iv. निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी के लिए स्थायी कौशल केंद्रों को बढ़ावा देना। v. स्कीम अवधि (2020-21) में 8 लाख युवाओं को लाभान्वित करना।	योजना के उद्देश्य हैं: i. युवाओं को कुशल बनाने और क्षमताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप कैरियर पथ चुनने के लिए सक्षम इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। ii. मौजूदा कौशल इकोसिस्टम को अधिक लचीला, तेज और उभरती मांग को पूरा करने के लिए तैयार करके बाजार-उन्मुख और मांग-संचालित तरीके से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, साथ ही उम्मीदवारों की रोजगार क्षमता में सुधार पर जोर देना। iii. प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण का लाभ उठाकर कौशल इकोसिस्टम की प्रक्रिया को सरल बनाना। iv. विशेष परियोजनाओं को डिजाइन करके पहाड़ी इलाकों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, सीमावर्ती क्षेत्रों आदि जैसे कठिन भौगोलिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश के दूरदराज के हिस्सों में कौशल विकास के बुनियादी ढांचे का एक नेटवर्क स्थापित करके कौशल तक पहुंच बढ़ाना। v. यह सुनिश्चित करके समावेशिता में सुधार करना कि एससी, एसटी, महिलाएं और अन्य सीमांत वर्ग के लोग कौशल प्रशिक्षण ले सकें और अंततः लाभकारी वेतन और स्वरोजगार तक पहुंच सकें।

की वास्तविक ज़रूरतों के साथ जोड़ना। iii. प्रमाणन प्रक्रिया के मानकीकरण को प्रोत्साहित करना और इसके लिए आधार तैयार करना। iv. कौशल का पंजीकरण v. चार वर्षों (2016-2020) की अवधि में 10 मिलियन युवाओं को लाभान्वित करना।		vi. लगातार बदलते बाजार की गतिशील जरूरतों को पूरा करने के लिए कौशलोन्नयन और पुनर्कौशलीकरण के महत्वपूर्ण स्तंभों के माध्यम से आजीवन कौशल के अवसर प्रदान करना। vii. प्रशिक्षित शिक्षण पद्धति, मानकीकृत मूल्यांकन और उद्योग प्रासंगिक पाठ्यक्रम के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करना। viii. हस्तांतरणीय कौशल में प्रशिक्षण और रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से उम्मीदवारों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने में सुविधा प्रदान करना। ix. उद्योग प्रासंगिक कौशल पर जोर देते हुए उम्मीदवार-केंद्रित प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ख) पीएमकेवीवाई 2.0 और 3.0 के तहत, अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) प्रमाणित उम्मीदवारों को प्लेसमेंट के अवसर प्रदान किए गए, और पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) में पहले से मौजूद कौशल के प्रमाणन की प्रक्रिया शामिल है। नियोजन को पीएमकेवीवाई 4.0 से अलग कर दिया गया है, जो कि वित्त-वर्ष 2022-23 से लागू होने वाली स्कीम का वर्तमान संस्करण है। महाराष्ट्र राज्य में पीएमकेवीवाई 2.0, 3.0 और 4.0 के एसटीटी घटक के तहत प्रशिक्षित, प्रमाणित और सूचित किए गए उम्मीदवारों का विवरण 31.10.2024 तक नीचे दिया गया है:

पीएमकेवीवाई के चरण	प्रशिक्षित (एसटीटी)	प्रमाणित(एसटीटी)	रिपोर्ट किए गए नियोजित	प्रमाणित अभ्यर्थियों के नियोजन का प्रतिशत
पीएमकेवीवाई 2.0	2,38,270	1,85,225	69,061	37.28%
पीएमकेवीवाई 3.0	32,346	21,020	1,045	4.97%
पीएमकेवीवाई 4.0	67,000	30,595	-	-

(ग) पीएमकेवीवाई 2.0, 3.0 और 4.0 के तहत 31.10.2024 तक भारत भर के विभिन्न क्षेत्रों में 1.38 करोड़ (लगभग) उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। 31.10.2024 तक पीएमकेवीवाई 2.0, 3.0 और 4.0 के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों (एसटीटी और आरपीएल) की क्षेत्र-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्रमशः **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** में दी गई है।

(घ) पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में 519 प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा एसटीटी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(ङ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य में पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए नामांकित उम्मीदवारों की संख्या नीचे दी गई है:

वित्तीय वर्ष	नामांकित अभ्यर्थी
2021-22	49,479
2022-23	17,658
2023-24	92,957
2024-25	22,949

(च) स्कीम के पहले तीन संस्करणों में अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में नियोजन को ट्रैक किया गया था, जो कि पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 है, जिन्हें वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक कार्यान्वित किया गया। नियोजन को पीएमकेवीवाई 4.0 से अलग कर दिया गया है, जो कि स्कीम का वर्तमान संस्करण है, जिसे वित्त-वर्ष 2022-23 से लागू किया जाएगा। पीएमकेवीवाई 4.0 का उद्देश्य प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उद्यमशीलता और आजीविका सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना कैरियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाना है।

(छ) पीएमकेवीवाई योजना मांग आधारित है और इसका लाभ देश भर में समाज के सभी वर्गों को मिलता है, जिसमें सीमांत और वंचित समुदाय, महिलाएं, एससी/एसटी और दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार और उद्योग के लिए तैयार कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।

पीएमकेवीवाई 4.0 स्कीम को वर्ष 2023-24 में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के व्यय वित्त आयोग (ईएफसी) की मंजूरी के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें यह सुनिश्चित करके समावेशिता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), महिलाएं और अन्य सीमांत वर्ग के लोग कौशल प्रशिक्षण ले सकें और अंततः लाभकारी वैतनिक और स्व-रोजगार तक पहुंच सकें। इसके अलावा, विशेष क्षेत्रों के भीतर और बाहर प्रशिक्षण के लिए सामान्य मानदंडों में परिभाषित विशेष समूहों (महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी)) और विशेष क्षेत्रों को बोर्डिंग, लॉजिंग और परिवहन सुविधाएं प्रदान की जानी हैं। इसके अलावा, विशेष परियोजनाओं के तहत परियोजनाएं/प्रशिक्षण महिलाओं जैसे सीमांत और कमजोर वर्ग को लक्षित करते हुए आवासीय प्रशिक्षण के साथ शुरू किए जा सकते हैं। सामान्य मानदंडों के अनुसार गैर-आवासीय प्रशिक्षण के मामले में महिलाओं और दिव्यांगों के लिए वाहन सुविधा स्वीकार्य है।

दिनांक 31.10.2024 तक पूरे भारत में पीएमकेवीवाई 2.0, 3.0 और 4.0 के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की श्रेणी-वार संख्या नीचे दी गई है:

क्रमांक	विवरण	प्रशिक्षित
1	अनुसूचित जाति (एससी)	18,02,380
2	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	6,93,547
3	अन्य पिछड़ी जातियां (ओबीसी)	45,22,893
4	महिलाएं	62,33,468
5	अल्पसंख्यक	16,60,073
6	विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)	51,364

अनुबंध I

31.10.2024 तक पीएमकेवीवाई 2.0, 3.0 और 4.0 के तहत (एसटीटी और आरपीएल) प्रशिक्षित उम्मीदवारों की क्षेत्र-वार संख्या:

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	पीएमकेवीवाई2.0	पीएमकेवीवाई 3.0	पीएमकेवीवाई 4.0
1.	एयरोस्पेस और एविएशन	11,800	3,218	3,286
2.	कृषि	7,89,602	16,973	1,02,746
3.	परिधान	10,26,514	90,323	1,83,935
4.	ऑटोमोटिव	2,52,663	13,405	60,737
5.	सौंदर्य और कल्याण	4,28,123	26,476	1,22,446
6.	बीएफएसआई	1,54,780	541	4,683
7.	पूंजीगत सामान	64,149	13,287	20,622
8.	निर्माण	5,63,107	29,355	53,089
9.	प्रशिक्षण महानिदेशालय	-	25,963	30,226
10.	घरेलू कर्मचारी	1,90,239	1,622	-
11.	इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर	10,51,172	85,414	3,96,230
12.	खाद्य प्रसंस्करण	1,68,248	7,888	48,908
13.	फर्नीचर और फिटिंग	1,64,204	5,760	8,904
14.	रत्न और आभूषण	1,15,270	5,952	9,120
15.	ग्रीन जॉब्स	4,45,221	2,174	50,883
16.	हस्तशिल्प और कालीन	2,58,752	16,638	1,75,770
17.	स्वास्थ्य सेवा	1,43,301	1,30,592	78,479
18.	हाइड्रोकार्बन	1,78,141	491	15,774
19.	आईएएससी	95,722	-	14,826
20.	सूचना प्रौद्योगिकी	-	-	548
21.	बुनियादी ढांचा उपकरण	35,519	4,946	2,325
22.	लोहा और इस्पात	39,142	7,338	18,548
23.	आईटी-आईटीईएस	3,45,303	64,046	2,04,703
24.	चमड़ा	1,87,220	4,910	15,997
25.	जीवन विज्ञान	74,797	7,523	12,076
26.	लॉजिस्टिक्स	6,00,538	30,946	38,242
27.	प्रबंधन	4,99,694	12,239	48,517
28.	मीडिया और मनोरंजन	6,10,647	14,758	81,391
29.	खनन	80,778	359	2,994
30.	पेंट और कोटिंग्स	39,308	4,045	-
31.	विकलांग व्यक्ति	45,840	-	1,108
32.	प्लंबिंग	1,25,566	5,884	9,908
33.	बिजली	1,21,737	5,581	23,985
34.	खुदरा	6,58,837	15,444	10,057
35.	रबर	2,49,396	6,778	11,043
36.	खेल	90,915	220	4,634
37.	दूरसंचार	3,39,444	36,242	94,956
38.	वस्त्र और हथकरघा	2,54,866	8,817	17,366
39.	पर्यटन और आतिथ्य	5,00,153	31,354	52,083
योग		**1,10,00,708**	**7,37,502**	**20,31,145**

अनुबंध II

31.10.2024 तक पीएमकेवीवाई 2.0, 3.0 और 4.0 के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों (एसटीटी और आरपीएल) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमकेवीवाई 2.0	पीएमकेवीवाई 3.0	पीएमकेवीवाई 4.0
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2,797	923	1,517
2.	आंध्र प्रदेश	3,00,610	20,317	57,838
3.	अरुणाचल प्रदेश	73,188	9,621	13,231
4.	असम	6,54,610	32,722	1,03,574
5.	बिहार	5,01,505	39,665	90,330
6.	चंडीगढ़	20,460	1,428	878
7.	छत्तीसगढ	1,33,201	8,862	20,054
8.	दिल्ली	3,77,441	19,362	17,710
9.	गोवा	8,786	780	321
10.	गुजरात	3,32,819	34,577	55,954
11.	हरियाणा	5,38,692	26,357	78,122
12.	हिमाचल प्रदेश	1,13,133	12,717	18,044
13.	जम्मू और कश्मीर	2,63,444	29,731	1,01,103
14.	झारखंड	2,31,033	14,409	33,551
15.	कर्नाटक	4,06,146	34,041	48,039
16.	केरल	2,20,753	18,482	16,668
17.	लद्दाख	2,267	977	728
18.	लक्षद्वीप	150	120	120
19.	मध्य प्रदेश	6,83,036	56,140	2,29,740
20.	महाराष्ट्र	10,53,149	54,704	87,752
21.	मणिपुर	80,499	8,285	15,209
22.	मेघालय	41,355	4,701	8,969
23.	मिजोरम	25,442	5,794	8,093
24.	नगालैंड	34,980	6,091	8,978
25.	ओडिशा	4,65,966	25,894	43,056
26.	पुदुचेरी	20,023	3,003	3,281
27.	पंजाब	3,21,821	28,700	1,00,845
28.	राजस्थान	9,17,622	42,959	2,38,847
29.	सिक्किम	11,099	1,818	5,238
30.	तमिलनाडु	5,51,251	39,201	93,192
31.	तेलंगाना	2,91,613	22,112	30,224
32.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	9,363	283	1,393
33.	त्रिपुरा	1,18,513	6,078	15,475
34.	उत्तर प्रदेश	15,92,668	82,315	3,88,996
35.	उत्तराखंड	1,74,762	13,841	42,535
36.	पश्चिम बंगाल	4,26,511	30,492	51,540
योग		**1,10,00,708**	**7,37,502**	**20,31,145**

****